शैक्षणिक संरचना, क्रेडिट सिस्टम, एनुअल ग्रेड पॉइंट, मूल्यांकन पद्धति, ए. जी. पी. ए. और सी. जी. पी. ए. की गणना

Prepared by Prof. Sunil Goyal, BRAUSS, 18. 10. 2023, p. 1

PROF. SUNIL GOYAL

Eminent Social Scientist, Columnist, and Professor

Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences,

MHOW, Indore, Madhya Pradesh

E mail **gasspub@gmail.com**

Mobile **+ 91 93405 38466 (Calling),**

94253 82228 (WhatsApp)

GOAL

इस मॉड्यूल में भारतीय ज्ञान प्रणाली में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

OBJECTIVE

वैश्विक परिदृश्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका एवं प्रभाव को समझना।

LEARNING OUTCOME

इस लर्निंग मोड्यूल को देखने के बाद आप –

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्रेडिट सिस्टम, एनुअल ग्रेड पॉइंट, मूल्यांकन पद्धति, ए. जी. पी. ए. और सी. जी. पी. ए. की गणना कैसे की जाती है, इस सम्बन्ध में ठीक से जान पाएँगें और समझ सकेंगें.

प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु

प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु

1. शैक्षणिक संरचना, और क्रेडिट
2. आंकलन और मूल्यांकन,
3. अंक और ग्रेडिंग,

प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु

4. ए. जी. पी. ए. और सी. जी. पी. ए. की गणना,

5. डिवीज़न,

6. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम की शैक्षणिक संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम की शैक्षणिक संरचना

1. एक संकाय से चुने गए तीन मुख्य विषय,
2. एक अनिवार्य फाउंडेशन कोर्स,
3. प्रत्येक विषय का अपना विशिष्ट अंक वितरण और आंतरिक संरचना,
4. अंक आधारित समान मूल्यांकन एवं डिवीज़न का निर्धारण.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात् स्नातक पाठ्यक्रम की नवीन शैक्षणिक संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात् स्नातक पाठ्यक्रम की नवीन शैक्षणिक संरचना

1. क्रेडिट सिस्टम,

2. कोर मेजर, माइनर और एच्छिक विषय की अवधारणा,

3. ऑफ कैंपस लर्निंग और अर्निंग ऑफ़ क्रेडिट,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात् स्नातक पाठ्यक्रम की नवीन शैक्षणिक संरचना

4. ग्रेड आधारित मूल्यांकन परिणाम,

5. वेटेड एवरेज आधारित वार्षिक ग्रेड,

6. संचयी समग्र ग्रेड Cumulative Overall Grade

नवीन शैक्षणिक संरचना पाठ्यक्रम का प्रकार

मूल
(Core Courses)
पाठ्यक्रम

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

मूल (Core Courses) पाठ्यक्रम

इस तरह के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से Degree Programme की मुख्य आवश्यकता के रूप में विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किया जाना है.

वैकल्पिक (Elective) पाठ्यक्रम

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

वैकल्पिक (Elective) पाठ्यक्रम

सामान्यत:, विषयों के एक पूल से विद्यार्थी द्वारा चुना जा सकने वाला यह एक ऐसा विषय है जो संकाय अध्ययन के लिए विशिष्ट, एवं उन्नत ज्ञान अर्जन में सहायक है।

वैकल्पिक (इलेक्टिव)विषय

Arts	Science	Commerce	Other
मध्यप्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय	हर्बल प्रसाधन सामग्री	व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत	एनसीसी
धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र	नर्सरी प्रबंधन	लेखांकन का मूल सिद्धांत	एनएसएस
भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना	दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र	भारत में बैंकिंग संस्थाएं	शारीरिक शिक्षा
संगठनात्मक व्यवहार	औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत	मुद्रा एवं बैंकिंग	
कम्युनिकेटिव अंग्रेजी	कम्प्यूटर फंडामेंटल	व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन	
भौतिकी भूगोल	एमएस ऑफिस		
पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन	मल्टी मीडिया और एनिमेशन		
प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंपर्क	स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन		
हिन्दी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय	भूविज्ञान के तत्व		
भारत में विरासत प्रबंधन	खनिज और चट्टानें		
भारत का संवैधानिक इतिहास	प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन		
चिकित्सा और कल्याण पर्यटन	रंगाई और छपाई		
प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन	बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण		
रंगाई और छपाई	हाउस कीपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट		
बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण	लॉजिक और सेट		
हाउस कीपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट	मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित		
भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन	गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन		
मध्यप्रदेश की संगीत विरासत	मानव रोग		
भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन	मधुमक्खी पालन		
श्री रामचरित मानस का दार्शनिक चिंतन	रेशम उत्पादन		
लोक प्रशासन : सिद्धांत एवं व्यवहार			
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था			
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन			
समाजशास्त्र का परिचय			
भारतीय समाज एवं संस्कृति			

Prepared by Prof. Sunil Goyal, BRAUSS, 18. 10. 2023, p. 1

संकाय विशिष्ट वैकल्पिक
(Discipline Specific Elective)
पाठ्यक्रम

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

संकाय विशिष्ट वैकल्पिक (Discipline Specific Elective) पाठ्यक्रम

मुख्य विषय / अध्ययन के विषय में उपलब्ध वैकल्पिक पाठ्यक्रम को विषय विशिष्ट वैकल्पिक के रूप में संदर्भित किया जाता है।

लघु शोध प्रबंध परियोजना

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

लघु शोध प्रबंध / परियोजना

विशिष्ट अध्ययन / उन्नत ज्ञान के लिए लक्षित यह पाठ्यक्रम अनुभवात्मक ज्ञान पर आधारित है, विद्यार्थी यह कार्य शिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगें.

सामान्य वैकल्पिक (Generic Elective) पाठ्यक्रम

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

सामान्य वैकल्पिक (Generic Elective) पाठ्यक्रम

यह सामान्यतः अन्य संकाय / विषय से चुना गया एक पाठ्यक्रम है ।

योग्यता संवर्धन (Ability Enhancement Course) पाठ्यक्रम

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

योग्यता संवर्धन (Ability Enhancement Course) पाठ्यक्रम

नवीन अकादमिक संरचना में AECs को दो श्रेणियों में रखा गया है :

- Ability Enhancement Compulsory Courses (AECC)-Foundation Courses
- Skill Enhancement Courses (SEC)-Vocational Courses

नवीन शैक्षणिक संरचना – पाठ्यक्रम का प्रकार

योग्यता संवर्धन (Ability Enhancement Course) पाठ्यक्रम

"AECC" पाठ्यक्रम सामग्री जीवन उपयोगी ज्ञान वृद्धि पर आधारित है जैसे – पर्यावरण विज्ञान और अंग्रेज़ी / आधुनिक भारतीय भाषा (Modern Indian Languages)

"SEC" पाठ्यक्रम सामग्री मूल्य और कौशल आधारित है, उनका उद्देश्य हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, दक्षता, कौशल, आदि प्रदान करना है ।

स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की संरचना

स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की संरचना

1. एक मुख्य (मेजर) विषय
2. एक गौण (माइनर) विषय
3. एक वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषय

स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की संरचना

4. एक व्यावसायिक विषय (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम)

5. फाउंडेशन कोर्स (अनिवार्य क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम)

6. इंटर्नशिप/ फील्ड प्रोजेक्ट / अप्रेंटिसशिप / कम्युनिटी इंगेजमेंट और सेवा

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

मुख्य (Major) विषय

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

मुख्य (Major) विषय

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 6 – 6 क्रेडिट के दो कोर्स

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

गौण (Minor) विषय

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

गौण (Minor) विषय

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 6 क्रेडिट का एक कोर्स

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

वैकल्पिक (Elective) विषय

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

वैकल्पिक (Elective) विषय

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में 6 क्रेडिट का एक कोर्स

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

वैकल्पिक (Elective) विषय में सम्मिलित भारत और मध्य प्रदेश का समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा -

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

- मध्य प्रदेश की संगीत विरासत
- श्री रामचरित मानस का दार्शनिक चिन्तन
- मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का सामान्य परिचय
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

- भारत में विरासत प्रबंधन
- मध्य प्रदेश में उर्दू गजल
- एन.सी.सी., एन.एस.एस., एवं शारीरिक शिक्षा

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

योग्यता संवर्धन (Ability Enhancement Course) अनिवार्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेज़ी सामान्य भाषा के साथ निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेश है -

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

- पर्यावरण अध्ययन
- योग एवं विज्ञान
- स्टार्ट अप एवं उद्यमिता

क्रेडिट सिस्टम और पाठ्यक्रम की संख्या

- महिला सशक्तिकरण
- व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण
- डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा

बहुआगमन एवं निर्गमन

- प्रथम वर्ष : 40 सर्टिफिकेट
- द्वितीय वर्ष : 40 डिप्लोमा
- तृतीय वर्ष : 40 डिग्री
- चतुर्थ वर्ष : 40 बैचलर विथ रिसर्च

कुल क्रेडिट : (40+40+40+40) =160

क्रेडिट कोर्स संरचनाएं : स्नातक कार्यक्रम

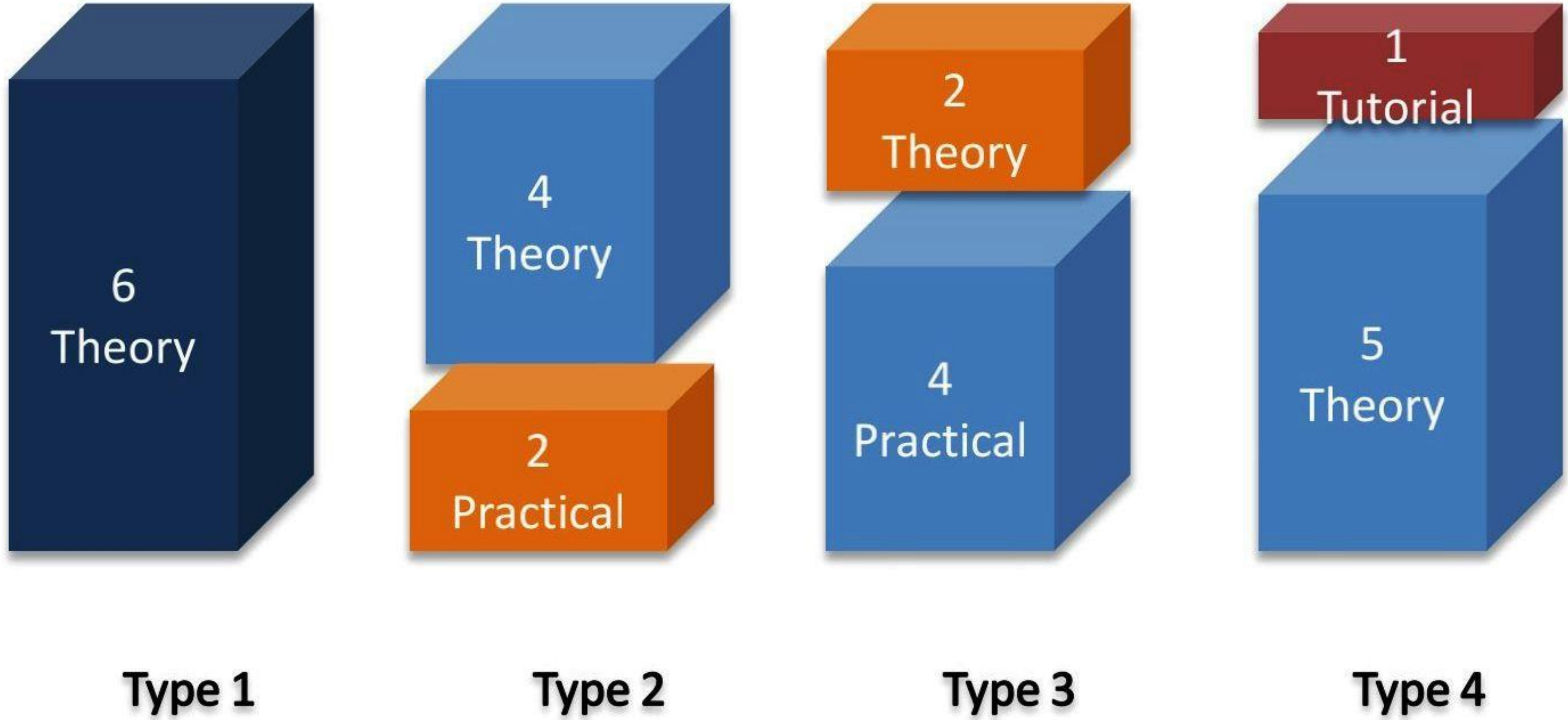

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति

- मेजर, माइनर, ओपन / जेनेरिक इलेक्टिव पाठ्यक्रम के लिए वर्षांत में तीन घंटे की सैद्धांतिक परीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति - सामान्यत : प्रत्येक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन १०० अंकों के लिए किया जाएगा, इसमें ब्राह्य वर्षांत परीक्षा के ७० अंक और आंतरिक व्यापक सतत मूल्यांकन सी.सी.ई. के ३० अंक होंगे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति - आंतरिक व्यापक सतत मूल्यांकन सी.सी.ई. वर्ष में चार बार, तीन लिखित तथा एक मौखिक, प्रत्येक 10 अंक का होगा, चार में से श्रेष्ठतम तीन सी.सी.ई. में प्राप्त अंक विद्यार्थी को दिए जाएंगें।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आंकलन (प्रैक्टिकल)

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आंकलन (प्रैक्टिकल)

2 क्रेडिट सैद्धांतिक + 2 क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आंकलन (प्रैक्टिकल)

अ) आंतरिक मूल्यांकन अंक वितरण (५० अंक)

उपस्थिति	- 5 अंक
प्रैक्टिकल रिकॉर्ड	- 30 अंक
आतंरिक मौखिकी परीक्षा	- 15 अंक

व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आंकलन (प्रैक्टिकल)

ब) ब्राह्य विश्वविद्यालय परीक्षा अंक वितरण (५० अंक)

व्यावहारिक कार्य - 40 अंक

मौखिकी परीक्षा - 10 अंक

इंटर्नशिप/ फील्ड प्रोजेक्ट / अप्रेंटिसशिप / कम्युनिटी इंगेजमेंट और सेवा का आंकलन

परियोजना कार्य का मूल्यांकन

आंतरिक (सतत्) एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50 एवं 50 अंकों का होगा।

अ) आंतरिक मूल्यांकन (50 अंक) हेतु विद्यार्थी समूह निर्धारित प्रारूप में तीन प्रगति प्रतिवेदन,निश्चित अंतरांल पर प्रस्तुत करेगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु तीनों रिपोर्ट में से, दो श्रेष्ठ रिपोर्ट की गणना की जायेगी।

ब) बाह्य मूल्यांकन (50 अंक) का विभाजन निम्न अनुसार होगा:

- 30 अंक –अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण (सामूहिक)
- 20 अंक – मौखिकी (व्यक्तिगत)

इंटर्नशिप / अप्रेंटिसशिप कार्य का मूल्यांकन

- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंको का विभाजन क्रमशः 50 अंकों का होगा।
- संबंधित संस्था/ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form प्रारूप G4) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा जो कि कुल 50 अंक का होगा ।
- बाह्य मूल्यांकन (50 अंक) का विभाज़न निम्न अनुसार होगा :
    - 30 अंक – अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण
    - 20 अंक – मौखिकी

कम्युनिटी इंगेजमेंट और सेवा का मूल्यांकन

- आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंको का विभाजन क्रमशः 50 अंकों का होगा।
- संबंधित संस्था/ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form प्रारूप G4) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा जो कि कुल 50 अंक का होगा ।
- बाह्य मूल्यांकन (50 अंक) का विभाज़न निम्न अनुसार होगा :
    - 30 अंक – अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण
    - 20 अंक – मौखिकी

ग्रेड एवं अंक वितरण की सीमा

ग्रेड एवं अंक वितरण की सीमा

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
O	10	Outstanding	90-100
A+	9	Excellent	80-89
A	8	Very Good	70-79
B+	7	Good	60-69
B	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
Ab	0	Absent	Absent

- **यदि कोई विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम में F या Ab ग्रेड प्राप्त करता है :**

  - उसे पूरक / पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

  - विश्वविद्यालय / यूटीडी द्वारा आयोजित किए जाने पर उसे उस पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की परीक्षाओं में फिर से शामिल होना होगा।

  - सतत मूल्यांकन में पहले प्राप्त अंकों को आगे बढ़ाया जा सकता है और दोहराने वाले पाठ्यक्रम में ग्रेड तय करने के लिए साल के अंत में दोबारा परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जा सकता है।

- विद्यार्थी यदि एक वर्ष में कम से कम 50% क्रेडिट प्राप्त करता / करती है तो उसे अगले वर्ष / सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा।

- यदि विद्यार्थी किसी वर्ष / सेमेस्टर में 50% से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, तो उसे उस वर्ष असफल घोषित किया जाएगा और उसे पूरे वर्ष दोहराने के लिए कहा जाएगा और उस वर्ष को शून्य वर्ष माना जाएगा। ऐसे मामलों में विद्यार्थी को अगले वर्ष प्रोन्नत नहीं किया जाएगा।

एजीपीए की गणना

एजीपीए की गणना

Course	Credit C	Letter Grade	Grade point GP	Credit Point C x GP	AGPA (Credit point / Credit)
CC-I	6	A+	9	54	150 / 20 = 7.50
CC-II	6	A	8	48	
GE-I	4	C	5	20	
AECC-I	4	B+	7	28	
Total Credits	**20**		**Total Credit points: 150**		

सीजीपीए की गणना

सीजीपीए की गणना

Year	Credits	AGPA	Credits x AGPA	CGPA
1	40	7.50	300.00	CGPA = (Credits x AGPA) / Total Credits CGPA = 1229.60/160 = 7.685 = 7.9 Rounded off to second decimal point
2	40	7.58	303.20	
3	40	7.32	292.80	
4	40	8.34	333.60	
Total	**160**		**1229.60**	

परीक्षा परिणाम का निर्धारण

परीक्षा परिणाम का निर्धारण

Division	Criterion
First division with distinction	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree in first atempt with CGPA of 8.00 or above
First division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 6.50 or above
Second division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 5.00 or aboveb but less than 6.50
Pass division	The candidate has earned minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.00 or above but less than 5.00

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत अन्य निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत अन्य निर्देश

- स्नातक डिग्री कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि तीन शैक्षणिक वर्षों की होगी, जबकि ऑनर्स / अनुसंधान की ओर ले जाने वाली स्नातक डिग्री की अवधि चार शैक्षणिक वर्षों की होगी।

- सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पूर्ण करने के लिए समय अवधि की कोई कैपिंग नहीं होगी, लेकिन स्नातक डिग्री और स्नातक डिग्री (ऑनर्स / रिसर्च) को पूरा करने की अधिकतम कुल अवधि क्रमशः 6 और 8 साल होगी।

- नॉन कॉलेजिएट (निजी) विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई रोक नहीं होगी।

- एक विद्यार्थी जो स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बीच में किसी भी समय पाठ्यक्रम छोड़ देता है, वह इस तरह अर्जित क्रेडिट को संचित रखेगा जिसे फिर से कार्यक्रम जारी रखने पर रिस्टोर / स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

Tag By Adona
ThankYou
©GoodLightscraps.com

ANY QUESTIONS???

Good luck !